

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठाधीन अधिकारी : रामचन्द्र खरीक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : प्र.पत्र 365/2022 (2022/378)

अगवाण

- 1- उकारलाल पिता कालु जी जाट निवासी सहगवा
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 2- धायु पुत्री कालु जी जाट निवासी सहगवा
- 3- मदनलाल पिता कालु जी जाट निवासी सहगवा

बगम

पार्थगिण

- 1- चतुर्गुज पिता एकलिंग जी जाट निवासी सहगवा
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 2- राजस्वाग सरकार जारेर अमिधारी तहसील चित्तौड़गढ़

विपक्षीय

कार्यवाही : पार्थगिण पत्र अन्तर्गत धारा 48 श.टी.एस
अखेर अमी का विनिमय करने हेतु

- उपस्थिति : 1- श्री वसन्तीलाल मेहता अखिवक्ता पार्थगिण
2- श्री वसन्तीलाल चोरपरण अखिवक्ता विपक्षी



निर्णय

दिनांक 25/01/2023

संक्षेप विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि पार्थगिण
ने पार्थगिण पत्र अन्तर्गत धारा 48 श.टी.एस इस
आशय का प्रस्तुत किया कि पार्थगिण एवं विपक्षी सं. 1
के अध्यक्ष चान्चा भतीजा व भतीजी का रिश्ता लेकर
एक ही जाति के एवं एक ही ग्राम सहगवा तहसील व
----- भगातार

६०
(रामचन्द्र खरीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

जिला चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं एवं दोनों पक्षकार स्वर्ण जाति के सदस्य हैं। प्राचीन के स्वामित्व आधिकारिक स्वतंत्रता उपयोग उपयोग की आराजी नम्बर 643 रकबा 0'66 हे. भूमि वर्गीकरण शारी प्रथम लगानी 10'56 रु. ग्राम सहगावा पण्डे सहगावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस भूमि के प्राचीन मालिक काबिज व स्वतंत्र है। विपक्षी लम्बा 1 के स्वामित्व आधिकारिक स्वतंत्रता उपयोग उपयोग की आराजी नम्बर 640 रकबा 0'66 हे. भूमि वर्गीकरण शारी प्रथम लगानी 10'56 रु. ग्राम सहगावा पण्डे सहगावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस भूमि के मालिक काबिज व स्वतंत्र विपक्षी लम्बा 1 है।

प्राचीन के स्वतंत्रता की आराजी नम्बर 643 रकबा 0'66 हे. भूमि पर कब्जा व उपयोग उपयोग विपक्षी लम्बा 1 का चला आ रहा है और विपक्षी लम्बा 1 की स्वतंत्रता की आराजी नम्बर 640 रकबा 0'66 हे. भूमि पर कब्जा व उपयोग उपयोग प्राचीन का चला आ रहा है। इसलिए भविष्य में दोनों पक्षकारों व उनके उत्तराधिकारियों के मध्य किसी प्रकार कोई विवाद उत्पन्न न हो, इसी श्रुति निमत से एवं दोनों के कब्जे को दृष्टिगत करते हुए दोनों पक्षकार उक्त भूमि का आपसी सहमति व स्वेच्छा से विनिमय करना चाहते हैं, जिले के लिए दोनों पक्षकार सहमत व तैयार हैं। इसलिए न्याय हेतु में उक्त भूमि का विनिमय किया जाना न्यायोचित है।

उक्त दोनों भूमियां ग्राम सहगावा तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं और दोनों भूमियों का रकबा व किल्ला व प्रेक्चर एक समान है और दोनों पक्षकार की जाति जाट



20
 (समचन्द्र खटीक)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपाखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़

होकर स्वर्ण जाति के सदस्य हैं। इसलिए विनिमय में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अतः प्राथमिक वल आवेदन स्वीकार करमाया जाकर उक्त दोनों भूमियाँ आराजी नम्बर 640 व 643 को विनिमय करने की स्वीकृति का आदेश प्रदान कराया जावे और तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिह नोटीस विपक्षी गण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 के सहमति का जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राथमिक के प्रार्थना पत्र से वकिल तन्व्यां बाबत जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिह पत्रांक/राजस्व/2022/838 दिनांक 27/9/2022 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थी उकोरलाल एवं विपक्षी-चतुर्भुज के बयान लिए गए। अखिरवता उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्राथमिक के प्रार्थना पत्र, जवाब विपक्षी, प्रार्थी एवं विपक्षी के बयानों एवं तहसील से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर अखिरवता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मजबूत किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सहगावा की आराजी नम्बर 643 रकबा 0.66 हे. किल्ला खारी 2 प्राथमिक के नाम पर स्वामेदारी हक से ली रेकार्ड है, जिल पर विपक्षी संख्या 1 काबिज होकर काबूत कर रहा है तथा ग्राम सहगावा की आराजी नम्बर 640 रकबा 0.66 हे. किल्ला खारी 2 विपक्षी संख्या 1 के नाम पर स्वामेदारी हक से ली रेकार्ड है, जिल पर प्राथमिक काबिज होकर काबूत कर रहे हैं। आराजी नम्बर



Ep
(समयचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़